



स्वतंत्र प्रभात दैनिक अखबार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एवं अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून

सीतापुर, मंगलवार, 30 जून 2026

वर्ष 14, अंक 82, पृष्ठ 04, मूल्य: 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित

पुणे मंगेतर मर्डर केस: सिया-चेतन ने अपने 3 साल के प्लान के लिए ले ली केतन अग्रवाल की जान!...04

बिहार में जमाबंदी को लेकर पटना हाई कोर्ट के 2 बड़े फैसले

● बिहार में जमाबंदी निरस्त को लेकर सरकार अभियान चला रही है. इसी बीच पटना हाई कोर्ट ने अपने 2 फैसले में सरकार को बड़ा झटका दिया है

● हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अधिकारी जज नहीं हैं. सरकार के अधिकारी मनमाने तरीके से जमाबंदी निरस्त नहीं कर सकते

बिहार में जमाबंदी और जमीन विवाद को लेकर पटना हाई कोर्ट ने अपने 2 फैसले में सरकार को बड़ा झटका दिया है. दोनों ही फैसले में हाई कोर्ट ने यह साफ किया कि जमाबंदी को बिहार सरकार या उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कोर्ट के निर्देश के बिना रद्द नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट का यह दोनों फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है, जब बिहार सरकार अवैध जमीन के नाम पर जमाबंदी रद्द के लिए बड़े पैमाने पर

सकाट सरकार के लिए झटका क्यों है?



अधिकारी जज नहीं जमाबंदी निरस्त नहीं कर सकते - पटना हाई कोर्ट

अभियान चला रही है।

जनवरी 2026 में एक सरकारी आदेश में कहा गया कि अवैध जमीन से संबंधित मामलों की तुरंत सुनवाई की जाए, जरूरत पड़ने पर जमाबंदी रद्द की जाए, अधिकारियों को इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 45 दिनों का वक्त दिया गया था।

जमाबंदी को लेकर हाई कोर्ट के 2 फैसले

1. 25 जून को जस्टिस सौरेंद्र पांडेय की बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया. मामला जमुई के खैरा अंचल का था. करीब 60 साल पुराने इस मामले में अंचलाधिकारी भूमि मालिक की जमीन की रसीद नहीं काट रहे थे. उनका तर्क था कि इस जमीन की जमाबंदी पहले ही रद्द की

जा चुकी है. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि जमाबंदी रद्द करने का अधिकार केवल सक्षम न्यायालय के पास है. अधिकारी अपने स्तर पर ऐसा फैसला नहीं कर सकते।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के अधिकारियों को फटकार भी लगाई, अदालत ने कहा कि अधिकारी जज बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो उचित नहीं है. यदि किसी की जमाबंदी (दाखिल-खारिज) गलत है, तो उसे अदालत में चुनौती दी जाए. अदालत को भी फैसला दे, उसका कानून के अनुसार पालन करा जाए।

2. 26 जून को पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा- बिना नोटिस दिए सरकार इस जमीन की जमाबंदी को रद्द नहीं

कर सकती है. मामला कटिहार का था, जिसमें याचिकाकर्ता का कहना था कि पिछले 39 साल से उनके पास जमीन का कब्जा था. अब सरकार ने अचानक से बिना नोटिस दिए जमाबंदी को रद्द कर दिया. कोई कारण नहीं बताया गया।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इसे गलत करार दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि जमाबंदी रद्द का जो आदेश था, उसमें कोई खास कारण नहीं बताया गया है. सरकार ने पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया. ऐसे में कोर्ट ने मामले में जमाबंदी को बहाल फैसला दिया।

बिहार में जमीन विवाद के आंकड़े बिहार सरकार के मुताबिक, म्यूटेशन से जुड़े 3 लाख से अधिक मामले लंबित हैं. वहीं, फरवरी 2026 में सरकार ने विधायकसभा को बताया कि ऑनलाइन समाधान पोर्टल पर 46 लाख मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से केवल 6 लाख का ही निपटारा हो सका था। भूमि विवाद को जड़ से खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने रजिस्ट्री के नियमों में भी बदलाव किया है.

पुलिस के आंकड़ों के अनुसार बिहार में हर तीसरी हत्या के पीछे जमीन विवाद होता है. मसलन, वर्ष 2025 में राज्य में हत्या के 224 मामले दर्ज हुए, जिनमें 67 हत्याएं जमीन विवाद से जुड़ी थीं. इसी तरह, 2024 में हत्या के 344 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें 88 मामले जमीन विवाद से संबंधित थे।

दुष्कर्म पीड़िता की विश्वसनीय गवाही ही दोषसिद्धि के लिए काफी: हाई कोर्ट

● इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दुष्कर्म 'कानूनी शब्द' है और पीड़िता की विश्वसनीय गवाही ही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने 44 साल पुराने एक दुष्कर्म मामले में अभियुक्त राकेश की सात साल की सजा बरकरार रखी और 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।



प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रकरण में यह स्पष्ट किया है कि दुष्कर्म 'कानूनी शब्द' है ना कि 'मेडिकल'। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पीड़िता की विश्वसनीय गवाही ही दोषसिद्धि के लिए काफी है। न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने इस टिप्पणी के साथ दुष्कर्म के 44 साल पुराने मामले में अभियुक्त राकेश की आपराधिक अपील खारिज कर दी है और सात साल की सजा को बरकरार रखा है। अभियुक्त पर 50 हजार रुपये जुर्माना और लगा दिया है। कहा है कि यह राशि एक महीने के भीतर पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाए। अगर पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है तो अपीलार्थी राशि उसके कानूनी वारिसों को देगा। जुर्माना न देने पर छह महीने की और कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। सत्र न्यायालय ने मई 1983 में सजा सुनाई थी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अपीलार्थी के वकील का कहना है

कि उसके मुवकिल को झूठा फंसाया गया है। पीड़िता और अभियोजन के अन्य खराबों के बयानों में विरोधाभास है। अभियुक्त को इसलिए प्रोवेशन पर रिहा करना चाहिए क्योंकि मामला लगभग 42 वर्षों से कोर्ट में लंबित है और उसकी उम्र 60 साल से अधिक है। यह प्रकरण प्रयागराज (पूर्ववर्ती इलाहाबाद) के केंद्र थाने में दर्ज हुआ था। राजापुर निवासी नाबालिग पीड़िता ने अपनी गवाही में बताया था कि 22 फरवरी 1982 की सुबह करीब 9.30 बजे जब वह नाले के पास शौच के लिए गई थी तो मोहल्ले में ही रहने वाले अभियुक्त वहां मौजूद थे। सबसे पहले राकेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर प्रकाश ने। विरोध करने पर उसे मारा-पीटा। पीठ ने गंगा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2013) मामले में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का उल्लेख भी किया कि दुष्कर्म पीड़िता के साक्ष्य को पुष्टि की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने

अपीलार्थी के वकील की यह दलील भी भरोसेमंद नहीं मानी कि पीड़िता का चरित्र खराब था। कहा, प्रकरण में पीड़िता का बयान मेडिकल साक्ष्य से भी मेल खाता है, जिसमें शरीर पर छह चोटें दर्ज थीं। तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने रिकार्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को धारा 376 आईपीसी के तहत सही दोषी ठहराया है। हाई कोर्ट ने 23 जून को सुनाए गए अपने निर्णय में जमानत मुचलका तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए यह भी कहा है कि अगर अपीलार्थी जमानत पर है तो उसे बाकी बची सजा काटने के लिए 10 दिन के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट में समर्पण करना होगा। ऐसा नहीं होता तो ट्रायल कोर्ट तुरंत कानूनी कार्रवाई करे। अपीलार्थी को धारा 428 सीआरपीसी के तहत 'सेट-आफ' का लाभ मिलेगा। यानी मुकदमे के दौरान हिरासत में बिताई गई अवधि सजा में से घटाई जाएगी।

संक्षिप्त खबरें

दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़। थाना लीलापुर के 30नि0 दीपक कुमार यादव व 30नि0 विपिन चन्द्र यादव मय हमराह के द्वारा वांछित वारंटी अभियुक्त के दौरान, मु0न0 477/18, मु0अ0सं0 115/2018 धारा 147,148, 149, 323, 504, 506 आईपीसी व 3(1) × एससी एसटी एक्ट थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वारंटी अभियुक्तों विजय उर्फ दिग्विजय पुत्र रामअंजोर निवासी ग्राम हदिराही थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम करीब 53 वं व राकेश कुमार वर्मा पुत्र हरीलाल वर्मा निवासी ग्राम हदिराही थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम करीब 45 वं वर को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

बृथ संख्या 27 पर सुनी गई मन की बात

बिस्कोहर (सिद्धार्थनगर)। रविवार को बृथ संख्या 27, संग्रामपुर स्थित शक्ति केंद्र प्रथम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 135वें एपिसोड का भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक श्रवण किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के विचारों एवं जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर बृथ अध्यक्ष राम नरेश पासवान, मंडल मंत्री हीरा मिश्रा, शक्ति केंद्र संयोजक डॉ. रामसूरत शर्मा, तोलन गुप्ता, अमरेश पासवान आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

एसपी ने तीन पुलिस अधिकारियों के किये स्थानांतरण

प्रतापगढ़। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर द्वारा सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारीगण को तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया गया है।जिनमें प्रशान्त राज क्षेत्राधिकारी नगर को क्षेत्राधिकारी लालगंज, आशुतोष मिश्रा क्षेत्राधिकारी रानीगंज, आशुतोष मिश्रा क्षेत्राधिकारी लालगंज को क्षेत्राधिकारी नगर, राजीव द्विवेदी पुलिस उपाधीक्षक, प्रतापगढ़ को क्षेत्राधिकारी लालगंज, प्रतापगढ़ के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

बिजली सप्लाई में यूपी देश का नंबर-1 राज्य, महाराष्ट्र और गुजरात को पछाड़कर उत्तर प्रदेश ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरीन बिजली व्यवस्था लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। भोषण गर्मी, बढ़ती बिजली मांग और प्राकृतिक बाधाओं के बावजूद उम्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति कर रहा है। इसे योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और यूपीपीसीएल के कुशल प्रबंधन से यूपी देश में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति करने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। विशेष बात यह है कि उत्तर प्रदेश लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए बिजली आपूर्ति के नए मानक स्थापित कर रहा है। 19 जून से उत्तर प्रदेश लगातार डिमांड बिजली आपूर्ति में देश का नंबर-1 राज्य बना हुआ है।

उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र, गुजरात जैसे बड़े औद्योगिक राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से भी आगे निकलकर अपनी क्षमता साबित की है। इस तरह बिजली मांग के मामले में यूपी ने देश के कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।

24 जून को रिकॉर्ड 32,673 मेगावाट

बिजली आपूर्ति की गई

अगर डिमांड बिजली आपूर्ति पर नजर डालें तो 27 जून को उत्तर प्रदेश में 31949 मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई। इसी तरह 26 जून को 31,839 मेगावाट और 25 जून को 31,852 मेगावाट की आपूर्ति दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, 24 जून को उत्तर प्रदेश ने नया इतिहास रचते हुए रात करीब 9:51 बजे 32,673 मेगावाट की रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति की थी। यह अब तक की सर्वाधिक पीक डिमांड आपूर्ति थी। इसके पहले 23 जून की रात 10:26 बजे 32,405 मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई थी। इसी तरह 22 जून को 31,841 मेगावाट, 21 जून को 32,348 मेगावाट, 20 जून को 31,549 मेगावाट और 19 जून को 30,968 मेगावाट बिजली आपूर्ति दर्ज की गई।

महानगर से लेकर गांव तक मिल रही लगातार बिजली

योगी सरकार में प्रदेश के शहरों से लेकर गांव तक निर्बाध बिजली आपूर्ति की जा रही है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और वाराणसी जैसे महानगरों में लगातार 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी 22 से 24 घंटे तक बिजली आपूर्ति



सुनिश्चित की जा रही है। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। इस तरह जो प्रदेश 2017 से पहले बिजली कटौती और खराब आपूर्ति व्यवस्था के लिए चर्चा में रहता था, वही आज रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति और मजबूत ऊर्जा प्रबंधन के लिए देशभर में मिसाल बन गया है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने बताया कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में लगे हुए कार्मिक दिन-रात परिश्रम कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यूपीपीसीएल उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए कृत संकल्पित है। निदेशक वितरण ज्ञानेंद्र धर द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने जिस तरह वाराणसी जैसे महानगरों में लगातार 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी 22 से 24 घंटे तक बिजली आपूर्ति

सामुदायिक शौचालय पर लटक रहा ताला, ग्रामीण परेशान



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रतनपुर/महाराजगंज। नौतनवां ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेखुआनी चौराहे पर लाखों रुपये की लागत से बना सामुदायिक शौचालय विभागीय उदासीनता के कारण सफेद हाथी साबित हो रहा है। देखरेख के अभाव में विगत कई दिनों से इस शौचालय पर ताला लटक रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों को शौच के लिए इधर-उधर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। शासन की इस अनदेखी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है।हैरानी की बात यह है कि सरकार द्वारा इस शौचालय के नियमित रख-रखाव और साफ-सफाई के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को

प्रति माह नौ हजार रुपये का भुगतान किया जा रहा है।

इसके बावजूद जिम्मेदार बजट की बंदरबांट में जुटे हैं। वर्तमान में स्थिति इतनी बदतर है कि नियमित सफाई न होने के कारण भवन से तीखी दुर्गंध उठ रही है। उचित रख-रखाव न होने से दीवारों की रंगी-पुताई पूरी तरह बरतंग हो चुकी है, तथा घंटिया निर्माण के कारण दीवारों पर लगे प्लास्टर और टाइल्स उखड़कर जगह-जगह से गिर रहे हैं।इस संबंध में एडीओ पंचायत रामकृष्ण प्रसाद ने कहा कि सामुदायिक शौचालय का बंद मिलना और गंदगी मिलना एक गंभीर लापरवाही है। इस मामले की तत्काल जांच करार संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

बलरामपुर के देवीपाटन मार्ग के चौड़ीकरण में भू-स्वामियों को हाई कोर्ट से राहत, आदेश-परेशान न करें

● हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप आगे की कार्रवाई नियमानुसार

तुलसीपुर क्षेत्र में होना है मार्ग का चौड़ीकरण, विवाद में भूमि अधिग्रहण

बलरामपुर। देवीपाटन-तुलसीपुर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भू-स्वामियों को राहत देते हुए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भू-स्वामी अपनी भूमि स्वेच्छ से बेचने को तैयार नहीं है तो उसे किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं लाया जा सकता। ऐसी स्थिति में सरकार को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के तहत विधिक प्रक्रिया अपनानी होगी। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया एवं न्यायमूर्ति

अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने यह आदेश रिट याचिका संख्या 6489/2026, अनिल कुमार गुप्ता एवं आठ अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य की सुनवाई के दौरान पारित किया।

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा था कि तुलसीपुर के ग्राम पाटन स्थित गाटा संख्या 271, 272 एवं 305 की भूमि सड़क चौड़ीकरण के लिए बिना वैधानिक अधिग्रहण प्रक्रिया अपनाए और उचित मुआवजा दिए जमीन लेने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि परियोजना के लिए लगभग 80 प्रतिशत भूमि बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदी जा चुकी है तथा करीब 100 रजिस्ट्रियां भी हो चुकी हैं। सरकार ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं से सहमति बनाने के प्रयास सफल नहीं हो सके। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि वे प्रस्तावित मूल्य पर भूमि बेचने को तैयार नहीं हैं तथा उन पर सहमति के लिए दबाव बनाया जा रहा है।



कोर्ट ने कहा कि यदि दोनों पक्ष आपसी सहमति से मूल्य तय कर लें तो बिक्री विलेख कराया जा सकता है, लेकिन सहमति न बनने पर सरकार को कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी। न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए और उनकी सहमति जबरन प्राप्त करने का प्रयास न हो। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जो भू-स्वामी स्वेच्छ से भूमि तैयार नहीं हैं तथा उन पर सहमति के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

याचिका का निस्तारण कर दिया।एसडीएम राकेश कुमार जयंत ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ मामलों में नियमों से हटकर राहत देने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जिस मकान की जितनी पुरानी आयु होगी, उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन कर मुआवजा निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया विधिक प्रावधानों के अनुरूप और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी।

संक्षिप्त खबरें

दिल्ली के होटल में पुलिस की गुंडगर्दी, महिलाओं से मारपीट के आरोप में एसआई पर गिरी गाज

दिल्ली। आदर्श नगर इलाके में स्थित एक होटल में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें थपपड मारे गए। इस घटना की वीडियो प्रसारित होने के बाद सब इस्पेक्टर हिमांशु को लाइन हाजिर कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आदर्श नगर इलाके में स्थित होटल क्लाउड इन होटल, पंचवटी से पुलिस कार्रवाई का एक वीडियो प्रसारित हुआ। यह घटना तीन दिन पुरानी है और वीडियो में एक सब इस्पेक्टर पुलिस कार्रवाई के दौरान दो महिलाओं को थपपड मारता हुआ दिखाई दे रहा है। देर रात होटल में दो पक्षों के बीच हुए विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान आरोपित पुलिसकर्मी ने एक महिला पुलिसकर्मी को मौजूदगी में दो महिलाओं को थपपड मारे। वहीं, मामले में दूसरा पक्ष भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दूसरे पक्ष की एक महिला भी झड़प में घायल हुई है। फिलहाल आदर्श नगर थाना पुलिस पूरे मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि फुटेज और दोनों पक्षों के आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में मौके पर मौजूद महिला पुलिस के भी बयान लिए गए हैं हालांकि उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस फुटेज के आधार पर डीसीपी आकांक्षा यादव ने एसआई को लाइन हाजिर कर मामले की जांच जिले की सचिवता शाखा को सौंप दी है। उनका कहना है कि बहुस्मृतिवार देर रात करीब डेढ़ बजे महिलाओं के दो समूहों में झगड़े की सूचना मिली थी। इस जानकारी के बाद आदर्श नगर थाने से एसआई हिमांशु पुलिसकर्मियों के साथ होटल में पहुंचे। इनमें एक महिला के पैर से खून निकल रहा था। जांच में मालूम हुआ कि यह महिला तीन साथियों के साथ इस होटल में ठहरी थी। इसी होटल में बुराई निवासी एक और महिला भी रकी थी। बताया जाता है कि दोनों समूहों में रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया। घायल महिला का बीजेआरएम अस्पताल में मेडिकल कराया गया। अब पुलिस इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को जांच में शामिल करने के लिए नोटिस दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली के फुटपाथों पर अतिक्रमण जारी, जोखिम में राहगीरों की जान



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया था कि यह अधिकार मोटर वाहनों के विशेषाधिकार से ऊपर है। इसके बाद यह उम्मीद जगी थी कि संबंधित एजेंसियां अब इसके क्रियान्वयन में लग जाएंगी, लेकिन चार दिन बाद भी दिल्ली में कहीं भी फुटपाथ को अतिक्रमण नुक़्त करवाने के लिए कोई बड़ा अभियान नहीं शुरू किया गया है। अब भी विभिन्न इलाकों में फुटपाथ पर अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग हो रही है, रेहड़ियां लगी हैं और दुकानदार अब भी अपनी दुकान का सामान फुटपाथ पर लगा रहे हैं। फुटपाथ पर अतिक्रमण का खासियामा राहगीरों को भुगतान पड़ रहा है। उनको सड़क पर जाना पड़ता है, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है। दिल्ली में हर साल 600 से अधिक राहगीरों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है। वर्ष 2022 में फुटपाथ पर अतिक्रमण होने से सड़क पर चलने वाले 629 राहगीरों की सड़क हादसों में मौत हो गई थी। इसी तरह 2023 में 622, 2024 में 624 और 2025 में 649 राहगीरों की सड़क हादसों में मौत हो गई। इसके बावजूद एक डीएएमसी, एमसीडी, पुलिस-प्रशासन अब तक कोई सख्ती नहीं दिखाई जा रही है। निगमबोध घाट के सामने रिंग रोड के एक तरफ फुटपाथ पर दुकानदारों ने न केवल अपनी दुकानों का सामान फैला रखा है, बल्कि तिरपाल टांग कर रहने के लिए आशियाने भी बना लिए हैं। फुटपाथ पूरी तरह ब्लाक होने के कारण राहगीरों को मजबूरी में तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच मुख्य मार्ग या सर्विस लेन पर चलना पड़ रहा है। यही वित्तांगक स्थिति पुरानी दिल्ली और उसके आसपास के प्रमुख ऐतिहासिक बाजारों में भी है। चांदनी चौक स्थित टाउन हाल के समीप गांधी पार्क की दीवार के पास साइकिल और फुटपाथ पर मोटरसाइकिल खड़ी की जाती है। इससे राहगीरों को आवाजाही करने के लिए जगह नहीं बचती। इसी तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग के फुटपाथ को अन पूरी तरह से रिवरसा स्टैंड बना दिया गया है।

पुणे मंगेतर मर्डर केस: सिया-चेतन ने अपने 3 साल के प्लान के लिए ले ली केतन अग्रवाल की जान!

● सिया-चेतन की खौफनाक प्रेम कहानी ने लोगों के रौंगटे खड़े कर दिए हैं. दोनों पर मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या का आरोप है. केतन अग्रवाल की सिया से मंगनी हो चुकी थी. दोनों की शादी होने वाली थी, मगर इससे पहले ही उसकी मौत हो गई. अब दावा है कि 3 साल के प्लान के लिए चेतन और सिया ने केतन की हत्या कर दी.



था. फिलहाल सिया की उम्र 20 साल और चेतन की उम्र 22 साल है। सजािश के तहत, अगर केतन की हत्या हो जाती, तो परिवार में मातम के चलते अगले कुछ साल तक सिया की शादी की शायद बात नहीं उठती. इन तीन सालों में चेतन अपने करियर में सेटल होना चाहता था. वहीं, सिया को भी अगले तीन साल तक अपनी मर्जी से आजाद जिंदगी जीने का मौका मिल जाता. इसके बाद दोनों शादी करने वाले थे. इसी मसूबे के चलते दोनों ने प्रेमी चेतन चौधरी ने उससे शादी करने के लिए कम से कम तीन साल का समय मांगा

चला है कि उन्होंने हत्या किन-किन तरीकों से की जा सकती है, इससे जुड़े कई वीडियो देखे थे. जांच में यह भी साफ हुआ है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने इसी साल फरवरी महीने से ही केतन की हत्या की साजिश रचना शुरू कर दिया था। सिया की मां ने बेटी पर क्या कहा वहीं, सिया के पापा प्रवीण गोयल ने केतन की मौत पर दुख जताया और कहा कि केतन के परिवार के लिए यह नुकसान बहुत बड़ा है. प्रवीण गोयल ने कहा, 'जो हुआ वह बहुत दुखद घटना है. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है. उन्होंने अपना बेटी खो दिया है.' उससे बहुत प्यार करता था. मैं उससे इतना जुड़ा हुआ था कि मानो उसको अपना बेटी ही मानने लगा था. इतना प्यारा, होनहार और अच्छे लड़का आज हमने उसे खो दिया. एक पिता के तौर पर मैं कहूँगा, उन्होंने अपना बेटी खो दिया, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता. कुछ दिन पहले ही उन्होंने सिया का जन्मदिन मनाया था और आगे एक बेहतर जिंदगी के सपने ज्यदा दुख हो रहा है क्योंकि दो परिवार

चिराग राजू थापर ने 'खत्री अरोड़ा वेलफेयर बोर्ड', लुधियाना के चेयरमैन का संभाला पदभार



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लुधियाना- कुछ रोज पहले पंजाब सरकार ने चिराग राजू थापर को खत्री अरोड़ा वेलफेयर बोर्ड, लुधियाना का चेयरमैन बनाया था और आज उनके सम्मान में एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें मुख्य रूप से जिला प्रधान जतिंदर खंगूड़ा, लोकसभा लुधियाना इंचार्ज शरण पाल मक्कड़, सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर, पंजाब इंफोटेक के वाइस चेयरमैन प्रदीप खालसा, ब्राह्मण बोर्ड के चेयरमैन पंकज शारदा, पार्षद मनी राम भगत जी पहुंचे। जतिंदर खंगूड़ा ने कहा कि चिराग थापर लंबे समय से आम आदमी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। उन्हें पहले भी अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और उसमें उनकी मेहनत को देखते हुए पार्टी ने उन्हें चेयरमैन के पद से सम्मानित किया है

और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में वह पार्टी को और मजबूत करेंगे।लोकसभा इंचार्ज शरणपाल मक्कड़ ने कहा कि चिराग थापर युवाओं के साथ मिलकर काम करेंगे और खत्री अरोड़ा समाज की भलाई के लिए भी बेहतर काम करेंगे। चिराग थापर ने इस जिम्मेदारी के लिए आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप को धन्यवाद दिया और कहा कि वह इस जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाएंगे और पार्टी के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। इस मौके पर पूर्व पार्षद बलजिंदर संधू, सुनील भगत जी पहुंचे। अमरजीत सिंह गोल्डी, राजेश मथार, अनिल थापर, प्रभात शुक्ला, दीपक थापर, बंटी सहगल, अमित ग्रोवर, रॉबिन गोगना, विकास गोयल, गगनदीप ओबेरॉय, अशोक बिड़ू, हरदीप विक्की, राहुल शर्मा आदि मौजूद थे।

45 दिनों का काम चार वर्षों से

● 30 फीट गहरा खुला गड्ढा, घंटों का जाम और स्कूली बच्चों सहित हजारों लोगों की जान पर बना जोखिम; रणबीर सिंह सोलंकी ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- द्वारका सेक्टर-3 स्थित मधु विहार में दिल्ली जल बोर्ड की डीप सीवर परियोजना लगभग चार वर्षों से अधूरी पड़ी होने के कारण स्थानीय निवासियों में गहरी चिंता और रोष व्याप्त है। परियोजना के तहत खोदा गया आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप को धन्यवाद दिया और कहा कि वह इस जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाएंगे और पार्टी के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। इस मौके पर पूर्व पार्षद बलजिंदर संधू, सुनील भगत जी पहुंचे। अमरजीत सिंह गोल्डी, राजेश मथार, अनिल थापर, प्रभात शुक्ला, दीपक थापर, बंटी सहगल, अमित ग्रोवर, रॉबिन गोगना, विकास गोयल, गगनदीप ओबेरॉय, अशोक बिड़ू, हरदीप विक्की, राहुल शर्मा आदि मौजूद थे।

किया जाना था लेकिन निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के लगभग चार वर्ष बाद भी परियोजना अधूरी पड़ी है। परियोजना के तहत मधु विहार सी-ब्लॉक स्थित महारणा प्रताप बाघ के निकट सर्विस रोड पर लगभग 30 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया।यह सर्विस रोड केवल एक सामान्य सड़क नहीं बल्कि मधु विहार के हजारों निवासियों की जीवनरेखा है। यही मार्ग मधु विहार को द्वारका सेक्टर-2 तथा आसपास के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों खासकर सेवाओं, सामुदायिक सुविधाओं एवं मुख्य यातायात नेटवर्क से जोड़ता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में छत्र द्वारका सेक्टर-2 स्थित सरकारी विद्यालय एमसीडी प्राथमिक विद्यालय क्षेत्र में संचालित महिला सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र रोज व्याप्त है। परियोजना के तहत खोदा गया आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप को धन्यवाद दिया और कहा कि वह इस जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाएंगे और पार्टी के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। इस मौके पर पूर्व पार्षद बलजिंदर संधू, सुनील भगत जी पहुंचे। अमरजीत सिंह गोल्डी, राजेश मथार, अनिल थापर, प्रभात शुक्ला, दीपक थापर, बंटी सहगल, अमित ग्रोवर, रॉबिन गोगना, विकास गोयल, गगनदीप ओबेरॉय, अशोक बिड़ू, हरदीप विक्की, राहुल शर्मा आदि मौजूद थे।

सुनील शेटी ने बताई 15 महीने की नातिन इवाराह की सुबह की आदत, कहा- 'वह पीएम मोदी की तस्वीर को लड़ खिलती है'

● सुनील शेटी ने नातिन के बारे में कहा, वह मोदी जी मोदी जी कहती है और पीएम मोदी को लड़ खिलती है।



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली: वेलकम टू द जंगल एक्टर सुनील शेटी अक्सर अपनी नातिन इवाराह के बारे में बात करते हैं और उसकी आदतों का जिक्र इंटरव्यू में करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने टाइम्स नाओ के साथ बातचीत में खुलासा किया कि इवाराह की सुबह की दिनचर्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लड़ू चढ़ाना शामिल है. उन्होंने याद करते हुए कहा कि पीएम मोदी से इवाराह को एयरपोर्ट पर उनकी नैनी ने मिलवाया और तब से वह उनकी तरफ आकर्षित हुईं. उन्होंने कहा, मैं हमेशा से उनका (पीएम मोदी) का फैन रहा हूँ. मैं पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा. मैं एक लीडर के बारे में बात रहा हूँ. अगर कोई लीडर मुझे खुश करता है तो करता है। पीएम मोदी को खिलती है इवाराह लड्डू आगे उन्होंने कहा, मैं अपने देश से

जितना प्यार करता हूँ, उतना ही अपने मैंन से भी करता हूँ. उनमें कुछ तो खास बात है. मेरी नातिन 15 महीने की है. एक बार एयरपोर्ट पर उसकी नैनी ने उसे मोदी जी के बारे में बताया था. अब, वह हर सुबह साईं बाबा की किताब खोलती है, जिसमें मोदी जी की भी तस्वीर है. वह फोटो खोलकर कहती है मोदी जी. वो गणपति जी की मूर्ति से लड्डू लेके आती है और उनको खिलती है. मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा. ना ही उसके पेरेंट्स ने. वह उनके बारे में है. बहुत मैंजिकल है। इवाराह के बारे में एक्ट्रेस अथिया शेटी और क्रिकेटर केएल राहुल ने 24 मार्च 2025 में पहले बच्चे का स्वागत किया. वहीं बेटी का नाम केएल राहुल के बर्थडे पर इवाराह का खुलासा किया. इसका मतलब भगवान का तोहफा. हालांकि जन्म के बाद से ही लाइमलाइट से दूर रही हैं. वहीं खास मौकों पर उन्होंने बेटी की झलक तो दिखाई. लेकिन चेहरा नहीं. हालांकि सुनील शेटी ने बताया कि इवाराह अथिया 2.0 है।

वितरंजन पार्क थाना पुलिस ने वाहन चोरी के दो मामलों का किरा खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। दक्षिण जिला पुलिस के चित्तरंजन पार्क थाना पुलिस ने वाहन चोरी के दो मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की दो मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जो गोविंदपुरी थाना क्षेत्र से चोरी हुई थीं।पुलिस के अनुसार, 26 जून 2026 को हेड कांस्टेबल सज्जन और हेड कांस्टेबल सिरमोहर नियमित गश्त के दौरान अलकनंदा स्थित मंदाकिनी एक्लेव, गेट नंबर-6 के सामने पेट्रोल पंप के पास वाहन जांच कर रहे थे। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की एक सफ़िध मोटरसाइकिल को रोककर उसकी जांच की गई।मोटरसाइकिल के चेसिस नंबर का सत्यापन करने पर पता चला कि यह वाहन

बराक घाटी में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ की मांग तेज, हाइलाकांडी में जिला समिति का गठन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: असम के बराक घाटी में गौहाटी हाईकोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित करने की मांग को लेकर 28 जून रविवार को हाइलाकांडी के मैत्री भवन में एक महत्वपूर्ण नागरिक सभा आयोजित की गई। सभा में अविश्वक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न वर्गों के 100 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में हाइलाकांडी के विधायक डॉ. मिलन दास ने बराक घाटी में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यह क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से लंबित और न्यायोचित मांग है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मांग को पूरा करने के लिए वे हरसंभव प्रयास करेंगे। साथ ही आंदोलन से जुड़े संगठनों द्वारा जनजागरूकता और जनसमर्थन जुटाने की पहल की सख्त मांग की। सभा में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में बराक घाटी के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए गुवाहाटी सप्लाई करता था। उसे किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष पेश किया गया।

जलमग्न कृषिभूमि, पशुधनों को लेकर चिंतित किसान सरकार से मदद की गुहार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

असम धेमाजी। धेमाजी जिले की असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमांत इलाके में हो रही तेज बारिश के वेज से अरुणाचल से धेमाजी जिला होकर बहती कई नदी उफान पर है। मुख्यरूप में सीमेन, डिमो, गगरा ओर गाई नदी सुबह भयंकर रूप में वेहे रही है। गगरा ओर डेमो नदी की बड़ती पानी में मुक्तिवार , चिमनमुख और

घाघरा और डीमोउ नदी की बाढ़ में 20 से अधिक गांव प्रभावित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नामनी सिलासुती ग्राम पंचायत के अधीन 20 से अधिक गांव को प्रभावित किया। इनसेम दोनो नदियों ने अधिक नामनी सिलासुती गाँव पंचायत के उत्तर सीलाबाली गाँव, पूर्व सीलाबाली गाँव, गोंगारपुर, भैयाम बेलगुडी, महारानी पुर और मुक्तिवार गाँव पंचायत के भैरवपुर, काकबारी, सोनालीपुर, करंगबस्ती, आशीषर-दसघर गांव को ज्यादा प्रभावित किया। सीमेनमुख, मुक्तिवार और नामनी सिलासुती ग्राम पंचायतों के आधा न निवासियों के मुख सड़क जलमग्न होने की अस्थक के रूप में मानव चक्रवर्ती को चुना गया, जबकि विभिन्न पदों पर अधिवक्ताओं और सामाजिक प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। निर्णय लिया गया कि समिति के तीन प्रतिनिधि 16 जुलाई को गौहाटी हाईकोर्ट में प्रस्तावित कार्यक्रम में भाग लेंगे। सभा के अंत में स्थायी हाईकोर्ट पीठ की मांग के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें करीब 300 नागरिकों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन जताया। वक्ताओं ने कहा कि यह किसी क्षेत्रीय या राजनीतिक हित का मुद्दा नहीं, बल्कि स्थायी रूप से तहत सभी नागरिकों को न्याय तक समान और सुलभ पहुंच दिलाने की मांग है। उन्होंने सरकार से इस विषय पर शीघ्र सकरात्मक निर्णय लेने की अपील की।

असम धेमाजी। असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से धेमाजी जिले में भयंकर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। शाम को करीब तीन बजे से चिमन नदी में पानी ओर ज्यादा बढ़ने लगी उफनती पानी ने नदी के उपर बनी रेलवे पुल के पश्चिम लटक के एक खम्बे से हटा दिया। पुल रेल लाइन के पट्टी के वेज के लटक हुए हैं। इसी दौरान रंगिया, डेकार गांव से सिलापथार होकर मुरकोंग सेलेक रेलवे स्टेशन तक जाने ओर आने वाले सभी रेलों के आवागमन रद्द कर दी गई है।

असम धेमाजी। असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से धेमाजी जिले में भयंकर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। शाम को करीब तीन बजे से चिमन नदी में पानी ओर ज्यादा बढ़ने लगी उफनती पानी ने नदी के उपर बनी रेलवे पुल के पश्चिम लटक के एक खम्बे से हटा दिया। पुल रेल लाइन के पट्टी के वेज के लटक हुए हैं। इसी दौरान रंगिया, डेकार गांव से सिलापथार होकर मुरकोंग सेलेक रेलवे स्टेशन तक जाने ओर आने वाले सभी रेलों के आवागमन रद्द कर दी गई है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता



दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ड्रग्स तस्कर को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 20 दिन की अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने आरोपों की गंभीरता, आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और एनडीपीएस अधिनियम के सख्त प्रावधानों का हवाला दिया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ड्रग्स तस्कर को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 20 दिन की अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने आरोपों की गंभीरता, आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और एनडीपीएस अधिनियम के सख्त प्रावधानों का हवाला दिया। अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि पुलिस ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2024 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत हुई प्राथमिकी में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपित एक आदतन अपराधी है और उसे 40 किलो से ज्यादा गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपित के अन्य भाई भी हैं जो बहन की शादी में धार्मिक रस्में निभा सकते हैं। अदालत ने घांजा रखने के आरोपित की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया की अवकाश पीठ ने



कर सकती है। अदालत ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा-37 के तहत पाबंदियां अनिवार्य हैं और जमानत देने से जुड़े सामान्य नियमों से ऊपर हैं। ऐसे में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में अंतरिम या नियमित जमानत केवल बहुत विशेष और असाधारण हालात में ही दी जा सकती है। अदालत ने माा कि याचिकाकर्ता इस मामले में कोई सामाधारण या ठोस वजह नहीं दिखा पाया और वह इस स्तर पर अंतरिम जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।